

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

प्राचार्य,  
राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय

यादी क्रमांक 22/113-17 सी01(5)  
दिनांक, पंचकूला 11-7-17


विषय :- एक्सटेंशन लैक्चरार की हिदायते बारे ।

.....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको लिखा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा एक्सटेंशन लैक्चरार के मामले में पोलिसी बनाई जा रही है। इस के अतिरिक्त दाखिला प्रक्रिया अभी चल रही है तथा नये शैक्षणिक वर्ष हेतु कार्याभार आंका जाना है। पूर्व में विभाग द्वारा जारी हिदायतों में स्पष्ट किया गया था कि विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी राजकीय महाविद्यालय में नये एक्सटेंशन लैक्चरार नहीं लगाये जायेगे। इस पत्र के द्वारा सभी को सुचित किया जाता है कि विभाग द्वारा इस बारे में की जाने वाली जारी हिदायतों के बाद ही एक्सटेंशन लैक्चरार लगाने बारे कार्यवाही शुरू की जाये।

अतः इन हिदायतों की उलंघना करने वाले प्राचार्य विभागीय कार्यवाही के पात्र होंगे।

  
उप-निदेशक महाविद्यालय-1  
कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा,  
हरियाणा, पंचकूला।